

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

वाद सं. 347/2025

दायरा दिनांक : 24.12.2025

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

रामबाबू s/o केसर सिंह भील गुराडिया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुनेल जिला झालावाड राज0

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज | नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये |
|----------------|--|---|
| 24.12. 2025 | न्यायालय हाजा में वार्दी द्वारा उपस्थित होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया जाकर पेरोकार सरकार (तहसीलदार) को प्रकरण जांच हेतु भेजा जावे। बाद जांच रिपोर्ट प्राप्ति पत्रावली दिनांक 26.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड (राज0) | |
| 26.12. 2025 | पत्रावली पेश हुई। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी/पेरोकार सरकार तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 29.12.2025 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी पिडावा, जिला झालावाड (राज0) | |
| 29.12. 2025 | पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी/वादी द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे यह साबित होता है कि प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में राजस्व कार्मिकों द्वारा भू.प्रबंध सर्वे-रिसर्वे के दौरान या फर्द बदर बनाते समय या नामान्तरण दर्ज करते समय कोई टाईपिंग या लिपीकीय त्रुटी गई हो। अतः पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व 136 एल.आर.एक्ट खारीज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे। | |



(दिनेश कुमार मीना)

सहायक उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
एवं पीठासीन अधिकारी, पिडावा
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट बाबत।

महोदय

निवेदन है कि ग्राम.....पुडावा..... जमाबंदी सं.2675-78 के खाता सं.140 में दर्ज खातेदारान/वादीगण के पिता/पति/हिस्सा/जाति/निवासी में गलत इन्द्राज/लिपिकीय त्रुटी को अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट में निम्नानुसार शुद्ध किया जाकर अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट में खातेदार घोषित किया जावे।

| भू प्रबंध खतौनी खाता सं. | भू प्रबंध खतौनी अनुसार प्रविष्टि | वर्तमान जमाबंदी खाता सं. | वर्तमान इन्द्राज / त्रुटी पूर्ण इन्द्राज | प्रस्तावित इन्द्राज (शुद्ध प्रविष्टि) |
|--------------------------|----------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 140 | बाबूलाल पुज के सरसिंह जाति श्रील | रामबाबू - झाके सरसिंह |
| | | 139 | बाबूलाल पुज के सरसिंह जाति श्रील | रामबाबू - झाके सरसिंह |
| | | 138 | बाबूलाल पुज के सरसिंह जाति श्रील | रामबाबू - झाके सरसिंह |

वादी एवं गवाहान का नाम/पिता/जाति/निवासी का विवरण

हस्ताक्षर

वादी

1. रामबाबू पुज के सरसिंह जाति श्रील निवासी पुडावा

रामबाबू

गवाह

2.
3. कारुलाल पुज बाबू जाति श्रील निवासी पुडावा

कारुलाल

4.

.....

रिपोर्ट पटवारी

वादी/प्रार्थी के वाद पत्र के अनुसार ग्राम पुडावा के राजस्व रिकार्ड की जांच की गई। मजमे आम में ली गई जानकारी /भू प्रबंध जमाबंदी एवं वर्तमान जमाबंदी में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज उक्त सारणी अनुसार शुद्ध किया जाकर तदानुसार वादी खातेदार घोषित होने योग्य है।

[Signature]
हस्ताक्षर पटवारी 23/12/28
प०म०.....पटवारी गायिका

रिपोर्ट भू०अभिलेख निरीक्षक

पटवारी रिपोर्ट की जांच की गई। राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज पटवारी रिपोर्ट अनुसार शुद्ध किये जाने योग्य है।


[Signature]
भू०अभिलेख निरीक्षक
भू०अ०नि०वृ०...23/12/28

क्रमांक: 1157/2025 दिनांक: 23/12/2025
रिपोर्ट तहसीलदार/पेरोकार सरकार

क्रमांक: राजस्व/2025/

दिनांक :

महोदय , जांच रिपोर्ट पटवारी एवं भूअभिलेख निरीक्षक अनुसार ग्राम..... के वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को शुद्ध किया जाना उचित होगा। रिपोर्ट सादर प्रस्तुत है।


तहसीलदार/नियंत्रक तहसीलदार (सू. अ.)
नाथ तहसील मन्तल

आदेश


न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

क्रमांक: राजस्व न्यायालय/2025/347

दिनांक : 29/12/2025

वादी/प्रार्थी के ग्राम के राजस्व रिकार्ड में दर्ज त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को तहसीलदार..... की उक्त जांच रिपोर्ट/प्रस्ताव/अनुसार प्रस्तावित सारणी के कॉलम 4 में अंकित त्रुटीपूर्ण इन्द्राज को कालम सं. 5 अनुसार दुरुस्त किया/जाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार.....को आदेशित किया जाता है कि वादी/प्रार्थी के राजस्व रिकार्ड में सारणी के कालम सं. 5 अनुसार इन्द्राज दुरुस्त कर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में खारिज।


उपखण्ड अधिकारी पिडावा
उपखण्ड अधिकारी
जिला झालावाड राज0
पिडावा, जिला झालावाड (राज0)

